



UTTARAKHAND

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं पत्राचार अधिकारी,

"प्रकीर्ण वर्ग"

लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 Website-<http://pwd.uk.gov.in> E-Mail-[eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक :- 1317/10 अधि प्राप्ति - प्रकीर्ण /2017

दिनांक 15-09-2017

**::: कार्यालय ज्ञाप :::**

अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 2137/III(2)/17-27(सामान्य)/2017 दिनांक 05-09-2017 में लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शेड्यूल ऑफ रेट्स में दरें Exclusive of GST जारी करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उक्त के क्रम में लोक निर्माण विभाग के केंद्रीकृत शेड्यूल ऑफ रेट्स के पुनर्निर्धारण हेतु दिनांक 12-09-2017 को आयोजित SOR समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवशेष अवधि हेतु केंद्रीकृत शेड्यूल ऑफ रेट्स (Rates Exclusive of GST) जारी किये जा रहे हैं।

**यह दरें दिनांक 15-09-2017 से लागू होंगी।**

**SOR PWD की website <http://pwsor.pwduk.in> पर उपलब्ध रहेगा।**

इस शेड्यूल ऑफ रेट्स में निम्न परिवर्तन किए गए हैं-

- समस्त Resources (Labour, Machinery, Material) व Cartage की बेसिक दरें Exclusive of GST ली गयी हैं। GST को छोड़कर अन्य समस्त कर जैसे उपकर, लेवी फी, टोल आदि दरों में सम्मिलित हैं।
- Labour Resources तथा Machinery Resources के विभिन्न ब्लॉक हेतु बेसिक दरों पर दिया जाने वाला इंडेक्स पूर्व की भांति लिया गया है।
- मदों की दरों (Item Rates) में 1% Labour Cess पूर्व की भांति लिया गया है।
- MORD तथा MISCELLANEOUS SOR में "Contractors Profit with overhead" पूर्व की भांति 12.5% तथा MORT&H SOR में "Contractors Profit" पूर्व की भांति 10% लिया गया है।
- MORT&H SOR की सभी मदों में "Overhead Charges" 6% (MORT&H की Standard Data Book में Road कार्यों हेतु लागू 10% में पूर्व से जुड़े Sales/ Turnover tax 4% को घटाकर) लिया गया है।
- सेतु कार्यों के लिए लागू MORT&H व MISCELLANEOUS SOR की मदों की दरों (Item Rate) में Overhead Charges उपरोक्त 6% के अतिरिक्त निम्न Overhead Charges देय होंगे -
  - For Major Bridges including State of Art Bridges & Minor Bridges = 15%
  - For Minor Bridges included in the Road Package = 10%
  - For Rehabilitation of Bridges = 20%

(एच. के. उग्रती)

प्रमुख अभियन्ता

लो. नि. वि. उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रभारी सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी/टिहरी/पिथौरागढ़/देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं सेतु/ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
7. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
13. प्रबन्धक निदेशक, यू0एस0आई0डी0सी0, देहरादून।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि0/यां0, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर-प्रथम/द्वितीय एवं समस्त अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
16. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. अधिशासी अभियन्ता, टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
18. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

1.T  
upload करे  
AIE  
15.9.17  
EE

15/9/17  
प्रमुख अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।